



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072021-228212
CG-DL-E-09072021-228212

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2568]
No. 2568]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 2021/आषाढ़ 18, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 2021/ASHADHA 18, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2021

का.आ. 2773(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के अनन्तापुरामु जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-42 के कि.मी. 97/410 से कि.मी. 136/410 तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ीकरण / 4 लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के अनन्तापुरामु जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-42 के कि.मी. 97/410 से कि.मी. 136/410 तक भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	जॉइंट कलेक्टर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH42 के कि.मी. 97.41 से 136.41 तक	आंध्र प्रदेश	अनन्तापुरामु	बत्तलपल्लि	1	बत्तलपल्लि
						2	अप्परा चेरुवु
						3	संगाला
						4	ओबुलापुरमु
						5	दंपेटल
						6	डि. चेल्लोपल्लि
					मुदिगुब्बा	1	जोन्नलकोत्तपल्लि
						2	संकेपल्लि
						3	गुंजेपल्लि

[फा. सं. RW/NH-12037/1/2021-22/ Annual Plan-AP]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2021

S.O. 2773(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Building (Widening/Four laning etc.,) maintenance, management and Operation from Km. 97/410 to Km. 136/410 of the National Highway No. 42 in Anantapuramu District in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-42 from Km. 97/410 to Km. 136/410 in Anantapuramu District in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal		Name of the Village
1	2	3	4	5	6		7
1	JOINT COLLECTOR	97.41KM To 136.41KM	ANDHRA PRADESH	Anantapuramu	Bathalapalli	1	Bathalapalli
						2	Apparacheruvu
						3	Sangala
						4	Obulapuram
						5	Dampetla

						6	D.Cheropalli
					Mudigubba	1	Jonnalakothapalli
						2	Sankepalli
						3	Gunjepalli

[F. No. RW/NH-12037/1/2021-22/ Annual Plan-AP]

RAJESH GUPTA, Director